न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14/2014
प्रविष्टि दिनांक 17.09.2014

समस्त जनता ग्राम स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक जरियेः–
1–श्योराज पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
2–बरधा पुत्र छोटू जाति बैरवा निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
3–हेमराज पुत्र कानाराम जाति बैरवा निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
4–कालू पुत्र भुवाना जाति बैरवा निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
5–लक्ष्मण पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
6–रतनलाल पुत्र गोकुल जाति मीणा निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक

............प्रार्थीगण

बनाम

1.रोडू पुत्र श्रीकिशना जाति बैरवा निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
2.गन्नी पत्नि रोडू जाति बैरवा निवासी स्यावता तहसील दूनी जिला टोंक
3.भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी देवली

.... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक **31.12.2019**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.02.2002 को प्रतिपक्षी संख्या–1 व 2 को आ0ख0नं0 763 रकबा 0.14है0भूमि वाके ग्राम स्यावता तहसील देवली हाल दूनी में आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमो के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सूचना के उपरान्त अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 ने उक्त आवंटन वास्तविक तथ्यो को छिपाकर अपनी खातेदारी मे पहले से ही मोजूद भूमियो का सही ब्योरा नही देकर छल–कपट एंव मिथ्या व्यापदेशन कर उक्त भूमि को हल्का पटवारी से मिलकर और उसकी गलत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट करवाकर आवंटित करवाया है। पटवारी ने उक्त रिपोर्ट मे आवंटी के पास 0.44 है0 भूमि होना अंकित किया है जबकि रेस्पो. नं0 1 व 2 के पास 1.76 है. भूमि चाही एंव बारानी ग्राम ठिकरिया खुर्द पटवार क्षेत्र बडोली तहसील देवली मे मोजूद है। धारा 101 राज0लै.रे.एक्ट के प्रावधानो के तहत आवंटन से पूर्व आवंटी के जमीन के बारे मे सही तथ्य अंकित करना आवश्यक है उक्त आवंटन छल कपट एंव मिसरिप्रजेन्टेशन द्वारा प्राप्त किया गया है। विवादित भूमि मौके पर रिक्त नही है। उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नही की गई है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। उक्त भूमि मे वर्षो से मन्दिर बना हुआ है और शेष रकबे मे मन्दिर मे आने-जाने वाले क्षद्दालुओ के लिए रास्ता बना हुआ है। मन्दिर का कुछ भाग आने जाने वाले क्षद्दालुओ के बैठने उठने के लिए व धार्मिक आयोजनो मे काम आता है। आवंटन से पूर्व इस बाबत कोई जांच नही की गई है। आवंटन से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा मौका नही देखा गया है। रेस्पो. संख्या 1 व 2 आवंटन की आड मे मन्दिर मे जाने वाले रास्ते पर कब्जा करना चाहता है और सार्वजनिक कार्यो मे बाधा उत्पन्न कर धार्मिक भावना एंव क्षद्दालुओ को मन्दिर मे जाने से रोकना चाहता है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी रोडू पुत्र श्रीकिशना,मन्नी पत्नि रोडू जाति बैरवा निवासी स्यावता को भू-आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 20.02.2002 को आ0ख0नं0 763 रकबा 0.14 है0 भूमि वाके ग्राम स्यावता मे आवंटन किया गया है।

अभिभाषक प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 के पास आवंटन के समय 0.44 है0 भूमि ना होकर 1.76 है. भूमि चाही एंव बारानी ग्राम ठिकरिया खुर्द पटवार क्षेत्र बडोली तहसील देवली मे मोजूद थी। अतः अप्रार्थी ने सही तथ्यो को छुपाकर आवंटन करवाया है,परन्तु आवंटन के समय यदि आवंटी के पास 1.76 है0 भूमि चाही एंव बारानी है तो भी आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है,क्योकि प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 के पास आवंटन पश्चात कुल रकबा आंवटन की पात्रता की सीमा को नही लांधता अर्थात आवंटी आवंटन की पात्रता रखता था।

नकल जमाबंदी सम्वंत 2070-2073 वाके ग्राम स्यावता मे प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 763 रकबा 0.14 है0 खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रोडू,मन्नी के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर रोडू पुत्र श्रीकिशना,मन्नी पत्नि रोडूं जाति बैरवा निवासी स्यावता तहसील देवली हाल दूनी को दिनांक 20.02.2002 को ग्राम स्यावता की आ0ख0नं0 763 रकबा 0.14 है0 भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.20 13:07:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: